

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 9/2019

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालड़ी एम, जिला-सिरोही

अप्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति राजपूत निवासी वेरारामपुरा हाल वेराविलपुर तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. श्री भगवतसिंह देवड़ा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 16.12.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2015 को उपअधीक्षक पुलिस सिरोही मय मुर्तिबा फर्दात व जब्त शुदा वाहन एवं अवैध डीजल एवं जरीकन पुलिस थाना पालड़ी में उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि न्यू सिंधी होटल सरहद वेराविलपुर के पीछे खेत में बने एक कमरे में प्लास्टिक के ड्रम व जरीकन रखे हुए पाये जाने पर चैक किया तो 9 ड्रम 200-200 लीटर के डीजल से पूरे भरे हुए तथा 50-50 लीटर के 3 जरीकन व 35-35 लीटर के 3 जरीकन पूरे डीजल से भरे हुए पाये गये। इस प्रकार कुल 2055 लीटर अवैध डीजल पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है।



प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया, जिसमें डीजल उनके मालिकी का होना बताया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए हैं। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

जिला कलक्टर, सिरोही

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री भगतसिंह देवड़ा ने दौराने बहस अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब की ओर मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि कब्जे सरकार लिये गये, उक्त डीजल को अप्रार्थी के फॉकलैण्ड मशीन, डम्पर, जेसीवी, ट्रेक्टर हेतु आवश्यकता होने से खरीद किया है। प्रार्थी के पास उक्त डीजल का बिल उपलब्ध है। अतः कब्जे पुलिस लिये डीजल एवं ड्रमों को उनके मालिकी का होने से लौटाये जाने के आदेश प्रदान करावे। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 1997 सीआरआई, एल.जे. 4035 प्रस्तुत किया।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा न्यू सिंधी होटल सरहद वेराविलपुर के पीछे खेत में बने एक कमरे में प्लास्टिक के ड्रम व जरीकन रखे हुए पाये जाने पर चैक किया तो 9 ड्रम 200-200 लीटर के पूरे भरे हुए तथा 50-50 लीटर के 3 जरीकन व 35-35 लीटर के 3 जरीकन पूरे डीजल से भरे हुए पाये गये। इस प्रकार कुल 2055 लीटर अवैध डीजल पाया गया, जिसे कब्जे सरकार लिया जाकर यह प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु पेश किया। राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980 के बलॉज 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को 200 लीटर से अधिक डीजल का भण्डारण करने व्यापार करने अथवा स्वयं के उपयोग हेतु रखने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। जहाँ तक अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गये डीजल को जरिये बिल खरीद करना बताया गया है, एवं उसका उपयोग स्वयं की फॉकलैण्ड मशीन, डम्पर, जेसीवी, ट्रेक्टर में उपयोग करना बता रहे है। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पाया जाता है कि उसका यह कथन सत्य साबित हो। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये 2055 लीटर डीजल एवं ड्रमों/जरीकनों एवं पाइप एवं लोहे के कीमे को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरौही डीजल एवं ड्रमों/जरीकनों एवं पाइप एवं लोहे के कीमे का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें। चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरौही